निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 04/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. छोटू पुत्र प्रभात
2. उमराव
3. सुलतान — पुत्रान नाथा
4. भंवरा
5. लालचन्द
6. जयराम
7. प्रकाश — पुत्रान सोहन
8. रामकरण
9. बंशी
10. कैलाश

समस्त जाति अहीर निवासी कालरा की ढाणी, तन बजरंगपुरा, तहसील विराटनगर, जिला–जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. बोदू पुत्र नानूराम
2. बिरदूराम पुत्र नानूराम
3. बनवारीलाल पुत्र नानूराम

   समस्त जाति अहीर निवासी ढाणी भोगन काली, तन बजरंगपुरा, तहसील विराटनगर।
4. साधूराम पुत्र बिरधूराम
5. गोरूराम पुत्र जोहरी
6. मंगलाराम पुत्र जोहरी
7. प्रहलाद पुत्र गोपाल
8. जयराम पुत्र गोपाल

   समस्त जाति गुर्जर निवासी निवासी ढाणी भोगन काली, तन बजरंगपुरा, तहसील विराटनगर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर, जिला जयपुर।
10. श्री राजवीर सिंह यादव आर ए एस उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2020 एवं 26/2020 ब उनवानी बोदू व अन्य बनाम छोटू व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

जिला कलक्टर
जयपुर

उपस्थित:–

1. श्री महेन्द्र नाहर अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री बनवारी शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 04.01.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष प्रकरण संख्या 01/2020 एवं 26/2020 व उनवानी बोदू व अन्य बनाम छोटू व अन्य अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है। जो झूंठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगणों के द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व गलत खसरा नम्बरान को दावे में अंकित किया गया है तथा अपनी खातेदारी कृषि भूमि को गलत जगह अंकित करते हुये दावा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगणों के पास उनकी स्वयं की कृषि भूमि में नाले के पूर्व में प्रस्तावित रास्ता बना हुआ है। प्रार्थीगणों को अप्रार्थीगणों के विरूद्व जो खसरा नम्बर प्रस्तुत किये है, उनका आधा अधूरा रिकार्ड प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित रास्ता विधि विरूद्व है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को बिलकुल नजर अन्दाज किया जा रहा है। केवल मात्र हैरान व परेशान करने की नीयत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थीगण अपनी स्वयं की कय शुदा कृषि भूमि में निवास करते आ रहे है। प्रार्थीगण जबरन राजनैतिक पहुंच व दबाव के कारण अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में रास्ता लेना चाहते है। प्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी विराटनगर से न्याय की उम्मीद नहीं है। क्योंकि प्रार्थीगण के पास उनकी स्वयं की कृषि भूमि में जाने के लिए पूर्व में रास्ता बना हुआ है। इसी रास्ते को नियत कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है, परन्तु अप्रार्थी राजनैतिक रसूख रखते है तथा आये दिन प्रार्थीगण को हैरान व परेशान करते आ रहे है तथा एलानिया धमकी दी जाती है कि विधायक हमारा है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते। इसलिए हम आपसे रास्ता ले कर रहेंगे। सक्षम न्यायालय द्वारा दो चार दिन की तारीख पेशी दी जाती है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 की ओर से अधिवक्ता श्री बनवारी शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब पेश किया। दिनांक 08.12.2020 को मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज होने एवं बाजदायरी प्रार्थना पत्र संख्या 112/2020 निर्णय दिनांक 04.01.2021 को स्वीकार होने पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर पर लिया गया।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पर गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के पीठासीन अधिकारी पर नजदीकी तारीख पेशी दिये जाने का आरोप लगाया है। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष राजस्थान

ला कलक्टर
जयपुर

काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत रास्ते का मामला विचाराधीन है जिसका निर्धारित समयावधि में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष प्रकरण दिनांक 19.03.2020 से लम्बित है। इसलिए नजदीकी तारीख पेशी दिया जाना स्वाभाविक है। प्रार्थीगण उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का कोई ठोस कारण बताने में असफल रहे है। इसलिए प्रार्थीगण के कथन को बल नहीं मिलता है। उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुनने एवं सम्पूर्ण तथ्यों पर मनन करने से परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के पीठासीन अधिकारी पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

5. उपखण्ड अधिकारी विराटनगर उभय पक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्य कायदा उपखण्ड अधिकारी विराटनगर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

6. निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

4/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर